अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10/17/225 विपिनटाक V/s सांवरलाल व अन्य

तारीख	2017/00010 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री रविन्द्र सेठी श्री N.K जैन, GA2,4	
25.8.21	**विपिन टॉक बनाम सांवरलाल वगैरह** पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक श्री मगंला राम चौधरी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र संख्या 62 / 2015 के निर्णय दिनांक 24.03.2021 बउनवान विपिन बनाम सांवरलाल की प्रति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के समक्ष विचाराधीन मूल वाद पत्र का निस्तारण दिनांक 24.03.2021 को किया जा चुका है तथा जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा चुकी है जिसके अपील संख्या 134 / 2021 बउनवान विपिन टॉक बनाम सांवरलाल है, जो आगामी पेशी दिनांक 03.09.2021में नियत है। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि चुँकि यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की है, जो सारहीन हो चुकी है इसलिए खारिज फरमायी जावें। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	